...14 फारम सं. 562

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका ।

Arjun Rai
Vrs
16/-Raiyat

आदेश फलक

देखे अभिलेख हस्तक 1949 का नियम129

आदेश पत्रक ता0...से...तक

जिला. **R.M.A (PAA)**.....सं0.........................**34**..................................सन् 2021-22

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3.
28.12.2021	यह रे0मि0 (प्रधानी नियुक्ति) अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0-74/2020-21 में पारित आदेश दिनांक- 25.10.2021 के विरूद्ध दाखिल किया गया है । अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया । निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-25.10.2021 को अपीलकर्त्ता का दावा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा-06 में निराधार पाते हुए वाद की कार्रवाई सं0प0 कास्तकारी अधिनियम की धारा-05 में परिवर्तित की गई है। अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है । निम्न न्यायालय द्वारा उक्त वाद में अंतिम ओदश पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस वाद में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । लेखापित एवं संशोधित । उपायुक्त, दुमका । उपायुक्त, दुमका ।	

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 16:49:06 +05:30
Location: 169.254.227.244